न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, फूलियाकलां जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख आदेश
224 / 2016 प्रार्थना पत्र	26.04.2016	06.04.2017

श्रीमती लादी पत्नि स्व0 सोचन्द गोदारा (जाट) निवासी फूलियाकलां

—— प्रार्थिया

बनाम

1– तेजमल पिता सोचन्द गोदारा (जाट) नि0 फूलियाकला तह0 फूलियाकलां
2– सांवरा पुत्र रतनीदेवी पिता बालु जाट नि0 प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा
3– भूला पुत्री रतनीदेवी पत्नि बद्री जाट नि0 लाम्बिया खुर्द तहसील बनेड़ा
4– शान्ति पुत्री रतनीदेवी पत्नि उदा जाट नि0 सवाईपुर तहसील कोटड़ी
5– कमला पुत्री सोचन्द पत्नि बन्ना जाट नि0 कादीसहना तह0 शाहपुरा
6– लाली पुत्री सोचन्द गोदारा नि0 फूलियाकलां

—— विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0</u>

उपस्थित :–

श्री विष्णुदत्त शर्मा – अभिभाषक प्रार्थिया

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :– ग्राम फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थिया एवं विपक्षीगण 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 421 मे आ0न0 1504, 1504 / 5318, 1526, 4588, 4599 रकबा क्रमशः 1.54 है0, 1.25 है0, 0.40 है0, 0.95 है0,0.27 है0 कुल किता 5 रकबा 4.41 है0 एवं खाता संख्या 422 आ0न0

पत्नि की हैसियत से उनके साथ रही, तथा परिवार की सदस्य है तथा प्रार्थिया वर्तमान मे विधवा पत्नि के रूप मे रह रही है तथा सभी सरकारी दस्तावेज परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र मे पति के रूप मे सोचन्द जाट का नाम अंकित है तथा प्रार्थिया के सोचन्द जाट के नूत्बे कोई भी संतान नही है अर्थात प्रार्थिया निःसंतान है तथा अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन अपने सुसराल फूलियाकलां मे कर रही है। कृषि आराजीयात प्रार्थिया के पति सोचन्द जाट के नाम से दर्ज थी, सोचन्द जाट के स्वर्गवास होने के पश्चात् विधिक वारिसान से प्रार्थिया एवं विपक्षीगण संख्या 1 एवं विपक्षी सं0 2 से लगायत 4 की माता श्रीमती रतनी एवं विपक्षी संख्या 5 व 6 के नाम सह खातेदारी के रूप मे विधिक वारिसान की हैसियत से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थिया का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 का 1/5 हिस्सा एवं विपक्षी 5 व 6 प्रत्येक का 1/5 हिस्से पर संयुक्त कब्जा काश्त है। विपक्षी 1 लगायत 6 फसल काश्त करने मे प्रार्थिया को बाधा कारित करते है। प्रार्थिया सह खातेदार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होकर काबिज काश्त है इस कारण प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थिया के पक्ष मे है यदि विपक्षीगण 1 लगायत 6 ताकत के बल पर अवैधानिक रूप से उसकी कृषि आराजीयात से बैदखल कर देगे तो प्रार्थिया को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थिया को उसके हक एवं हिस्से एवं खातेदारी एवं कब्जे के शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नही करे न अपने नोकरों ऐजेन्टो एवं परिजनों से कारित करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 01.09.2016 को विपक्षीगण 1, 2, 4, 5, 6 बावजूद सम्मन तामील व सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी नं0 3 की पुनः तलबी की गई। दिनांक 06.10.2016 को विपक्षी नं0 3 भी उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। प्रकरण मे दिनांक 06.04.2017 को अभिभाषक प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थिया ने बताया कि उसके व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी से वादग्रस्त भूमि दर्ज रेकार्ड है किन्तु विपक्षीगण प्रार्थिया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे बाधा कारित करते है बेदखल करने पर आमादा है अतः जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

गै0मु0 आ0चा0 की संयुक्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है दोनो खातों मे खातेदार तेजमल पिता सोचन्द, रतनीदेवी, कमलादेवी, लाली पुत्री सोचन्द, अलोल, लादीदेवी पत्नि सोचन्द (गोदारा) जाट सा0 देह दर्ज है जिसमे से रतनीदेवी की जो कि सोचन्द की पुत्री होकर उसकी मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिस विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 है। अलोल की भी मृत्यु हो चुकी है। विपक्षी 5 व 6 भी सोचन्द की पुत्रियॉ है। आधार कार्ड अनुसार प्रार्थिया के पति का नाम सोचन्द दर्ज है, पहचान पत्र अनुसार भी पति का नाम सोचन्द दर्ज है राशन कार्ड मे भी पति का नाम सोचन्द जाट दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 ताफैसला वाद स्वीकार किया जाकर विपक्षी नं0 1 लगायत 6 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियकलां मे स्थित खाता संख्या 421 मे आ0न0 1504, 1504/5318, 1526, 4588, 4599 रकबा क्रमशः 1.54 है0, 1.25 है0, 0.40 है0, 0.95 है0,0.27 है0 कुल किता 5 रकबा 4.41 है0 एवं खाता संख्या 422 आ0न0 5567/3584 रकबा 0.02 गै0मु0 आ0चा0 मे प्रार्थिया के हक हिस्से एवं खातेदारी एवं कब्जे के शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नही करे न अपने नोकरों ऐजेन्टो एवं परिजनों से कारित करावे व न ही प्रार्थिया को बेदखल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर